न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 21 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023 / 276

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. मांगु पिता रामा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर 2. शंकर पिता रामा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर 3. सुखी पत्नि सुवालाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर		1. अणछीदेवी पुत्री प्यारा रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 2. लेहरी पुत्री प्यारा रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 3. सुन्दर पुत्री प्यारा रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 4. जमुदेवी पत्नि प्यारा रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 5. मगना पुत्र प्यारा रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 6. इश्वरकुमार पुत्र शंकरलाल रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 7. प्रकाशचन्द्र पुत्र शंकरलाल रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 8. पुष्पादेवी पुत्री शंकरलाल रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 9. बदामीदेवी पुत्र शंकरलाल रेगर निवासी थला तहसील रायपुर 10. शान्तादेवी पुत्र शंकरलाल रेगर निवासी थला तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. राजकुमार नायक, प्रार्थी अधिवक्ता
2. अमरसिंह चारण, विप्रार्थी संख्या 3, 5, 6, 7, 9 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 8, 10 एकपक्षीय

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14-10-2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 487 में अंकित आ.स. 1205 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 1235 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड होकर स्थित हैं। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1205 व 1235 में सदैव से आवागमन पैदल, संज बैल, ट्रेक्टर आदि मुख्य करेड़ा जाने वाली सड़क के पूर्वी दिशा में स्थित अप्रार्थियो की आराजी संख्या 1226 की दक्षिणी पाली से वर्तमान में उदा पिता मांगु के बने घर के उत्तरी भूजा के ठीक पास होकर रास्ते से अपनी उक्त कृषि आराजियात में प्रार्थीगण के परिवारजन

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

पिछले 100 वर्षो से अधिक समय से उपयोग–उपभोग कर अपनी कृषि आराजियात में आवागमन कर रहे है। उक्त आराजियात में आवागमन का एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की आराजी संख्या 1226 की दक्षिणी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाने आदेश फरमाया जावें।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 8, 10 सम्यक तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 24.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विप्रार्थी संख्या 3, 5, 6, 7, 9 के अधिवक्ता श्री अमरसिंह चारण उपस्थित एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 1226 में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 1205, 1235 तक 20 फिट चौड़ा रास्ता भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है।

04. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1226, में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/1065 दिनांक 15.08.25 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की,जिसके अनुसार :–

i. आराजी संख्या 1226 रकबा 0.46 है0 पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नही है।

ii. मौके पर रास्ता नही होने से प्रार्थीगणो द्वारा नवीन रास्ता चाहा गया है।

iii. मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध है।

iv. वर्तमान में आराजी संख्या 1205 व 1235 में आने जाने के लिए ग्राम थला के आराजी संख्या 1293 मुख्य रास्ते से होते हुए आराजी संख्या 1222 रकबा 0.10 है0 किस्म गै.मु. जीस पर मौके पर लगभग 4 मीटर रास्ता बना हुआ है। जिसमें से ट्रेक्टर बैलगाड़ी इम्यादी का आराम से आवागमन हो रहा है मौके पर रास्ता चालु है।

v. प्रार्थीगणो द्वारा नवीन रास्ता चाहा गया है जो दिया जाना उचित नहीं है।

vi. चाहा गया रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाया गया है।

vii. मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसका विस्तृत विवरण बिन्दु संख्या 4 में वर्णित है।

viii. उभयपक्षो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र को विड्रो करना चाहते है एवं इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

05. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

06. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1205 व 1235 में आवागमन हेंतु वैकल्पिक रास्ता है। अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित नही होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध नही किया गया हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजियात के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता बताया गया जिससे आवागमन किया जा रहा है। संलग्न मौका पर्चा में अंकन किया गया कि प्रार्थीगण धारा 251ए के अन्तर्गत लगाये गये प्रार्थना पत्र को विड्रो करना चाहते है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते को अंकित किया गया है जिस रास्ते से भी प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात में आवागमन किया जा रहा है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र केवल सुविधाजनक प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार वैकल्पिक रास्ता मौजुद है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात में आवागमन किया जा सकता है एवं संलग्न मौके पर्चे में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र विड्रो करना चाहा गया है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित नहीं होने एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विड्रो करने का अंकन से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14-10-25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा